रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 13, 1970/श्रावण 22, 1892
No. 138] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 1970/SRAVANA 22, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th August 1970

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year 1970-71 (Amendment No. 25).*

No. 120-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure 1970, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70, dated 4th May, 1970.

In para 114(3)(H) of the said Hand Book, the documents required to be produced for the purpose of claiming a replenishment licence against export of Woollen Carpets for which payment is received locally, either in full or in part, from foreign tourists, have been prescribed. In this connection, it is clarified that the sale of carpets of foreign tourists against payment in foreign exchange can be made only by such person/firm who holds an authorization from the Reserve Bank of India in the form of a money changer's licence. As such, the following documents may be added to the list of documents, given in paragraph 114(3) (H) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure:—

"(v) A copy of the money changer's licence issued to the seller by the Reserve Bank of India".

An applicant for a replenishment licence in forms of the aforesaid provisions should, therefore, also file a copy of his money changer's licence with his application for replenishment licence.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1970

विषय:—1970-71 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 25)

स० 120—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक नियम तथा कार्यविधि पुस्तक, 1970 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 66—आई० टी० सी० (पी० एन)/70, दिनांक 4—5—1970 के अन्तर्गत प्रकाशित की गई थी ।

ऊनी दरियों के निर्यात के विपरीत विदेशी पर्यटकों द्वारा पूर्णरूप में अथवा खण्डरूप में जो भुगतान स्थानीय रुपयों में किया जाता है, उसकी एक आपूर्ति लाइसेंस की मांग के लिए जो दस्तावेज चाहिए, वे उपर्युक्त हैंडबुक के पारा 114 (3) (एच) में निर्धारित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में, इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान के विपरीत विदेशी पर्यटकों की दरियों की बिक्री केवल ऐसे व्यक्ति/फर्म द्वारा की जाएंगी जो मुद्रा परिवर्तन करने वाले लाइसेंस के रूप में रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकरण प्राप्त किए हुए हैं । इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज को आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक कार्यविधि के पारा (113) (एच) में दिए गए दस्तावेजों की सूची में जोड़ा जाए:—

"(वी) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा विक्रेता को जारी की गई मुद्रा परिवर्तन करने वाले लाइसेंस की एक प्रति ।"

इसलिए, उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार आपूर्ति लाइसेंस की प्राप्त के लिए आवेदन करते समय आवेदक को चाहिए कि वह आवेदन-पत्र के साथ अपने मुद्रा परिवर्तन लाइसेंस की एक प्रति भी संलग्न करें ।

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1970—March, 1971 (Amendment No. 26).*

No. 121-ITC(PN)/70.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the ITC Book (Red Book) for the year April, 1970—March, 1971 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 48-ITC(PN)/70, dated 31st March, 1970.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of Red Book (Vol. II)	Reference	Amendments
136	B.69.3 Col.4	The existing entry may be numbered as (a) and the following new entry be added there under:— (b) Newsprint including newsprint of 30-40 G.S.M(50%).
NOTE:		This amendment will be applicable in respect of licences issued on or after 1.4.1970.
136	B.69.3 Col.5	The following entry may be inserted in Col.5— (a) Import of Newsprint against any of the products falling in B.69.3 will not be allowed on nomination.
136	B.69.7 Col.5	The existing entry may be numbered as (a) and the following new entry may be added thereunder:— (b) Import of Newsprint against any of the products falling in B.69.7 will not be allowed on nomination.
136	B.69.8 Col.5	The existing entry may be numbered as (a) and the following new entry may be added thereunder:— (b) Import of Newsprint against any of the products falling in B.69.8 will not be allowed on nomination.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports

विषय:—अप्रैल, 1970 से मार्च 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 26)

सं० 121-आई० टी० सी० (पी०एन०)/70.—अप्रैल, 1970 से मार्च, 1971 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात व्यापार नियंत्रण बुक (रेड बुक) के खंड 2 में निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 48—आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 31—3—70 के अन्तर्गत जारी की गई थी ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे लिख अनुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

रेड बुक (वाल्युम 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
136	बी० 69.3 कालम —4	वर्तमान प्रविष्टि को (ए) के अनुसार पुनःसंख्याकित किया जाए और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाय :— (बी) 30—40 सी०एस०एम० (50 प्रतिशत) के न्यूजप्रिन्ट ।

1	2	3
		टिप्पणी : यह संशोधन 1–4–70 को या उसके बाद जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बन्ध में लागू होगा ।
136	बी० 69.3 कालम–5	निम्नलिखित प्रविष्टि कालम 5 में रखी जाएं :— (ए) बी० 69.3 के अन्दर आने वाले किसी भी उत्पाद के विपरीत न्यूजप्रिन्ट का आयात मनोनयन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
136	बी० 69.7 कालम–5	वर्तमान प्रविष्टि के अनुसार (ए) को पुनसंख्यांकित किया जाए और उसके अन्दर निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :— (बी) बी० 69.7 के अन्दर आने वाले किसी भी उत्पाद के विपरीत न्यूजप्रिंट का आयात मनोनयन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
136	बी० 69.8 कालम–5	वर्तमान प्रविष्टि को (ए) के अनुसार पुनसंख्यांकित किया जाए और उसके अन्दर निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाए :— (बी) बी० 69.8 के अन्दर आने वाली किसी भी उत्पाद के विपरीत न्यूजप्रिंट का आयात मनोनयन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जायगा ।

आर० जे० रवैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970